(40

Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

No memo

Dated 08/08/2019

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.018 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of P.D P.W.D Bageshwar District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwer district falls within It is further certified that:-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.018 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 08/03/19

Signature

District Collector जिलाधिकारी

Seal

बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO. Memo

Dated 08/08/2019

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.018 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of P.D P.W.D Bageshwar District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwer. It is further certified that:-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.018** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure......to annexure......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Bhatashaf (Thakel) illage (s) is enclosed as annexure......
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

• The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

District Collector Bageshwar

स्कि १२०पी०) के अन्तर्गत

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतु ४०मी० स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तहसील का नाम **गरुड**़ जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु (0.000 है० आरक्षित बनभूमि, 0.018 है० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात कुल 0.018 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किर्देश हारा दिनाक 15-8-20 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतुं विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिमर्टार्कोर

....क ग्रामवासिया का उक्त वन मूर्ग **७//०/१**०/

.. के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि ल्रोजिन कि बार्ये प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के

निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

प्रधान हिंग्राम पचायत थाकला

पा0-बन्ताला विज्ञुत-पुरुद्ध (बागेश्व

आनापत्ति प्रमाण पत्र

आज विनांक 15-08-2018 को जनपद करेंग्रेटर के ग्राम मियर ने दिन के प्रियं के प्राप्त करेंग्रेट में प्राप्त करेंग्रेट के कोई आपित नहीं है, साथ ही ग्रामवासियों का यह मानना है कि निर्माण कार्य से गाँव का विकास होगा एवं गाँव वालों को सुविधा मिलेगी।

उपरोक्त निर्माणकार्य होने के दौरान कार्य करने वाली लेबर को किराये का मकान् दे दिया जायेगा एवं लेबर द्वारा पानी, दुकान एवं अन्य उपयोग में लॉई जानी वाली सामग्री/सार्वजनिक चीजें उपयोग करने में ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रo संo	गाँवकानाम	गाँववासीकानाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	
11	विरुप्रकेष	मुबन चन्द्र सिंह	9756944120		
2	1.	श्राभ्य ह्ल	9759861342	G	
73	,,	रमेश चन्द	983009658	र्चेश कालणत	
14	Ti .	मदन-मोहन स्री	7.35 107 8955	मान को ह क	
25	tr '	अग्रिश सिंह	- 9627468409	जाड़ीश भिंह	
06	2) They	गामिन्द् जिल्लाभी	7351094846	2019-49	n
27		हीरावललाभ मिल	0 044 527 0667	21719 090	July 1
,0	मिलार कोट	Arig REE	2639779539	विशास्त्र विश्व वै क	खण्ड
09	1,	किश्न सिंह	9837586483	19911/WE	बागेश
10	Exchair	रमेश नाध्न		क्षेश नाध	
Ţ,	340015 N	4121201 4121	7248644114	-मरापण नाध	
	16	प्रधान	ar a remark terrainer of	जाशादी	

बिएख0 गरुड (गागर

पो0-बन्तोली

वि०ख0-गरुड (बागश्वर)

页0	गाँवकानाम	गाँववासीकानाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
सं0	मुन्द्र मेर	सुन्तर विरो	9750437040	(%)
	मध्य माध्र	मध्य गण	9327721761	man Lank
	की हिन १	मंगल नाथ	205.7146516	भगताम थ
	क्रेसिंडना	रमा देवी	9719732647	रमा देवी
05	क्रिएर कीलं	येमवल्लाभ भागा	7 0954552750	Dracoin-
06		हरीको चन्द्र	8954325860	E Starp
0.7	विवयी देवी	डेन्की डेन्टे	9037403756	Test
00	विरमाङ्गा	क्सार माथ		5 Hel AR
0	, जिल्हर कीर	दरकान सिंह	9756732701	Jos
10	सिमापूर	डिकेन्द्र सिंह	0193020650	TRU
11	"	महम सिंह	9917650219	प्राथकी
	1.0			

ग्राम पंचायत हरबगड़ वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

n. उत्तिक विद्यालय

प्राय करावत धानान

ग्राम पचायत थाकला पो0-बन्तोली शि0ख0-गरुड (बागश्वर

सहायक अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड लो० नि० वि० बागेश्वर

में बि मोहन चन्न प्री। मी स्व पुर्णातम, ग्राम - भिरारकीट गेन - ब-मोली, बिन्का - गरुट. तहारी ना गरुट. जनवर - बागेक का स्थानी निकासी हूं, जमला प्रकी माह्यामिन निधालंघा -प्रिंगरकीट के पत्स गाल्ड, मदी में युल का मिर्माण हो। रहा है। इसमें युल का जिल्ला क्रिक्स मेरी भूमि में अग रहा है, नाप भूमि होने पर विभाजीय नियमानुसार मुको मुनाक दिया जीय,

1- 39-1 - J- G FIE - 1

माहनय उसवा मोहम चन्द्र अस मी प्रथितमा रगती ग्राम- मिटारकीट फा० - जन्ती ली किरका० - गराइ० प्रमाद - कारोस्यर

प्रधान ग्राम पवायत थाकला पॉ0-बन्तोली विक्थ0-गरुड (बागेश्वर)

प्रधानाध्यापक जनता पूर्व माध्यमिक विद्यासम् बिटाश्योर तरुस जिन्ह सगिश्य (स्माससम्ब

जी दुन्हर गरि, ग्राम - कोहिना

प्रधान याम पचायत शाकला पो०- बन्तोली

भगज दिनांच 15-08-2018 की पानला सर्व मार्ग व्यट विसालाक मिटारकोट, विष्युक-गर्द, जनाव-वर्णीक्स में स्वारंपला विवस छड़े दूम-द्याम व हकी क्लास के मुद्दार साथ मनाणा गया, यहाः लाने विद्यालय कन्छन् विद्यानवान में अहता व यव-हान, तहा निवालय के काम में नुवाल भी राम्म वस माण्डणल, भी देवीदम पारत तथा भी पुरोग्र रूप से झान्डारीहन गलेश देन हारा सप्रमत इन्द्रारोग समारोह किया गया. सभी लोगों ने में विधालक के हात्र (हायाओं के साथ मांगालिया कीय 72 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के झन्डलेन नी देवी के. बाद विद्यालय के प्रवन्धां भी देवीवन पाठ है। की हंगरा स्वतंत्राता विवस रामारोहं पर संभी-सेन नास्यों तथा विधालय गर्ना की सम्मोधित मारार्थ किएं, इसके उपरान्य सर्स्वी वन्द्रमा के रतन 72 ने स्वतंत्रा विल्य कार्यक्रों की शुरुवाद हुई वस्तों द्वारा विभिन्न संगर छात्रेन कार्य अमें की प्रस्ति ही, जिसमें देश अस्ति, लोक्गीत तथा हिसी देवी पर्लि रही, नायकमां के भीन-जीन में यहामान्य जने। हारा आती बात करतें महिलीही के लीनं वहनाई, विद्यालय के प्रान्थ भी वेबीका देख पाइक भी द्वारा विकलांत्र के पास युन वामी हैता अस्तान नामा रका गणा, पुल जो कोल्न , शेराड़ी, शायला, हिस्लोली सुन्तुलो क के भोगों रावं वन्नों हैन अवस्वत है। जो इन विषय क्रमीं के किया के किया पुल बनाने रातं अम्मिम सार्वना ही हेयु यम एत भी देवादेवी अन्त के जिल्लान राने कर मेर केटी, स्वलन्सला दिनहां मेरी र्मापन की होगा। अर्थम हारा की गामी सहायक अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड लो० नि० वि.० बागेश्वर गाम पवायत धासता पो0-बन्ताली जनता एवं माध्यपिक विद्यालय पो0-वनोली विवस्त गरुड (बागश्वर) विक्खा-गरुड (बागेश्यर 578147

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईंस्कूल को जोड़ने हेतु ४०मी० स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति......र्हेड.....

उपखण्ड गरुड परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईरकूल को जोड़ने हेतुं 40मी० स्टील गर्डर सेंतु के निर्माण हेतु (0.000 हे० आरक्षित वनभूमि, 0.018 हे० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात कुल 0.018 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग बागेश्वर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये. जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड) की दिनांक अधिकारों को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कंपकीट) की दिनांक ... 22/06/19 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **प्राप्त मेशा** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अ यवधीन राजी उपजिलाधिकारी अहं अपान विकास विका

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने 40मी० स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु 0.018 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावंतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य प्रस्मागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी सं माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड गरुड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु 0.018 हे0 वनभूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

विद्यापा अर्ग । ।

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी...

वार रिश

......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाहे स्वित्साधिकारे उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिन्नि। तहसील जनपद आग्रेश

प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर अध्यक्ष 2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर सदस्य 3. जिला पंचायत सदस्य

सदस्य

4. जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव

आज दिनांक <u>08 08 2019</u> को जिलास्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 22/06/12 तरा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतु 40मी० स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापित्त प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतु 40मी0 स्पान पैदल सेतु के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलाधिकारी वनाधिकारी समिति जनपद बागेश्वर के उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरुप को परिवर्तन कर जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतु 40मी0 स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतु 40मी० स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला पंचायत सदस्य

h बागेश्वर

जिला समाज

ANNEXUR.

District Level and hitte

Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrsml. Rangana Raj. Gura I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 03/2.01.9.. at time 3.00. pm at Bageshwar in which application claiming rights in area measuring 0.018 hect for the Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwer of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for

diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 8/8/19